प्रश्न सं. [क्र. 1023]

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक 26.02.2021

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 18.02.2021

तारांकित प्रश्न क्रमांक -1023 — माननीय विधायक श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव।

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय की टीप क्रमांक 2137 एवं 2138 दिनांक 17/9/2019 के तारतम्य में की गई कार्यवाही का विवरण:-

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के मंडलेश्वर सं./सं. संभाग अंतर्गत बालसमुद वितरण केंद्र को दो भागों (बालसमुद एवं निमरानी) में विभक्त करने एवं मुलठान विद्युत वितरण केन्द्र को दो भागों (मुलठान एवं पिपलगोन) में विभक्त करने के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय की टीप क्र. 2137 एवं 2138 दि. 17.09.2019 प्राप्त हुई थी जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को टीप दिनांक 26.09.2019 से निर्देशित किया गया था।

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही कर विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अति. मुख्य अभियंता (कार्य) कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र क्र. 20601 दि. 01.11.2019 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता (सं./सं.), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खरगोन वृत्त को निर्देशित किया गया ।

अधीक्षण अभियंता (सं./सं.), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खरगोन वृत्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरान्त कार्यालयीन टीप क्र. 6625 एवं 6624 दि. 20.11.19 के माध्यम से बालसमुद एवं मुलठान वितरण केंद्र को दो भागों में विभक्त कर नवीन वितरण केन्द्रों के सृजन करने हेतु प्रस्ताव अति. मुख्य अभियंता (कार्य) कॉर्पोरेट कार्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 2380 एवं पत्र क्रमांक 2381 दि. 12.02.2020 से अधीक्षण अभियंता (सं./सं.), खरगोन वृत्त को आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात कार्यपालक निदेशक, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर क्षेत्र द्वारा कार्यालयीन टीप क्र. 2270 एवं 2271 दि. 02.03.2020 के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव पुनः पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय को प्रेषित किये गए हैं एवं उक्त प्रस्ताव वर्तमान में कंपनी कार्यालय स्तर पर लंबित हैं।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

N